

न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध बैंक प्रकरण संख्या 113/2023(GCMS : 2023/199)

राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक, मुख्य शाखा, श्रीगंगानगर जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री अतुल सरदाना, क्षेत्रीय कार्यालय श्रीगंगानगर (राज.)

बनाम

1. मैसर्स जमींदारा टैंट हाउस जरिये प्रो. श्री राजकुमार पुत्र श्री अमीचंद निवासी नजदीक इंडेन गैस एजेंसी गोदाम, 2 एमएल (नाथावाला) श्रीगंगानगर (राज) एवं गांव जण्डवाला, हनवंता, तहसील अबोहर, जिला फाजिल्का (पंजाब)
2. श्री पृथ्वीराज पुत्र श्री बिहारी लाल निवासी वीपीओ साधुवाली जिला श्रीगंगानगर



06.10.2023

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने जरिये अधिवक्ता श्री भारत भूषण महेन्द्रा ने एक प्रार्थना पत्र वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण मैसर्स जमींदारा टैंट हाउस एवं पृथ्वीराज को ऋण सुविधा के रूप में राशि 11,28,552/-रुपये (अखरे रूपये ग्यारह लाख अठाईस हजार पांच सौ बावन मात्र) (दिनांक 26.08.2015 को 8.00/- लाख रूपये एवं दिनांक 26.09.2021 को 3,28,552/- रूपये) के ऋण राशि की स्वीकृति को प्रदान की थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी राजकुमार द्वारा बंधक रखी अपनी अचल सम्पत्ति प्लॉट नं. डी-5 एवं डी-6 (पश्चिम मुखी)(क्षेत्रफल 96' गुणा 30' वर्गफुट), नजदीक इंडेन गैस एजेंसी गोदाम, 2 एमएल (नाथावाला), श्रीगंगानगर, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जाने की प्रार्थना की है।

मैने, पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण मैसर्स जमींदारा टैंट हाउस-प्रो. राजकुमार एवं पृथ्वीराज को ऋण सुविधा के रूप में दिनांक 26.08.2015 को 8.00/-लाख रूपये एवं दिनांक 29.06.2021 को 3,28,552/-रुपये कुल 11,28,552/-रुपये के ऋणी राशि की स्वीकृति प्रदान की थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी राजकुमार ने अपनी अचल सम्पत्ति प्लॉट नं. डी-5 एवं डी-6 (क्षेत्रफल 96' गुणा 30' वर्गफुट),



जिला मजिस्ट्रेट  
श्री गंगानगर

(पश्चिम मुखी), नजदीक इंडेन गैस एजेंसी गोदाम, 2 एमएल (नाथावाला), श्रीगंगानगर, प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 28.05.2023 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 03.06.2023 को जारी कर दिनांक 05.06.2023 को रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये है। धारा 13(2) नोटिस अप्रार्थीगण को भिजवाने की पोस्ट ऑफिस रसीद एवं प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील हो चुकी है।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गई अप्रार्थी राजकुमार की अचल सम्पत्ति प्लॉट नं. डी-5 एवं डी-6 (पश्चिम मुखी)(क्षेत्रफल 96' गुणा 30' वर्गफुट), नजदीक इंडेन गैस एजेंसी गोदाम, 2 एमएल (नाथावाला), श्रीगंगानगर, जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थी ऋणी पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 03.06.2023 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 03.06.2023 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस पर अप्रार्थीगण दिनांक 05.06.2023 को

ही रजिस्टर्ड डाक से भिजवाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप अप्रार्थीगण के धारा 13(2) नोटिस प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ने बैंक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नहीं करवाई है और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी राजकुमार के द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपत्तियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 स्वीकार किया जाता है और अप्रार्थी ऋणी राजकुमार द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई अचल सम्पत्ति प्लॉट नं. डी-5 एवं डी-6 (पश्चिम मुखी)(क्षेत्रफल 96' गुणा 30' वर्गफुट), नजदीक इंडेन गैस एजेंसी गोदाम, 2 एमएल (नाथावाला), श्रीगंगानगर, का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावे। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तर्तीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 06.10.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अंशदीप)

जिला मजिस्ट्रेट  
श्री गंगानगर